फैक्स / ई-मेल

संख्याः1022 /छः-पु0-8-2022-801(31)/2022

प्रेषक,

बी0डी0 पाल्सन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 20 जून, 2022

विषयः निर्देश याचिका संख्या- 862/2020 अभय भान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के निर्णय के आलोक में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध मे शासकीय दिशा निदेश निर्गत किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- एफएस-1505-2020(2), दिनांक 11.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्देश याचिका संख्या- 862/2020 अभय भान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के निर्णय में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 तथा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली,2005 की धाराओं की व्याख्या की गयी है।

2. निर्देश याचिका संख्या- 862/2020 अभय भान पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देश/निर्णय दिनांक 17.08.2021 के प्रस्तर-12 से 17 तक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 6 व 7 व अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के नियम-3 संबंधी विस्तृत व्याख्या की गयी है। उक्त निर्णय के सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा नियमावली, 2005 के अन्तर्गत भवनों का निरीक्षण केवल 15 मीटर से ऊंचे पर ही लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या- 18/ छः-पु0-8-2022-905(34)/2016टी0सी0, दिनांक 07.01.2022 में 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों हेतु एन0ओ0सी0 प्राप्त करने की प्रक्रिया को आवेदक की अनुशंसा अनुसार पूर्णतया स्वैच्छिक रखा गया है। उक्त के संबंध में उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम की परिधि में आने वाले भवनों हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत करने की आवश्यकता बतायी गयी है।

3. इस सबंध में उल्लेख करना है कि उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 में भवनों के लिये अग्निशमन के स्पष्ट प्राविधान है। इसके अतिरिक्त 15 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों हेतु व्यवस्था निर्धारित न होने के दृष्टिगत फायर सर्विस मुख्यालय के प्रस्ताव अनुसार 15 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों हेतु दिशा निर्देश शासनादेश दिनांक 07.01.2022 द्वारा निर्गत किया गया है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों के लिये शासनादेश दिनांक 07.01.2022 द्वारा प्राविधान किये गये है। उक्त के साथ ही उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम / नियमावली, 2005 के परिधि में आने वाले भवनों के लिये भी स्पष्ट प्राविधान है। अतः इस संबंध में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण / मा0 उच्च न्यायालय / मा0 सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के आलोक में उ0प्र0 अग्निनिवारण एवं अग्निसुरक्षा अधिनियम / नियमावली, 2005 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2022 में दिये गये व्यवस्था के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

20/6/22

(बी0डी0 पाल्सन)

सचिव।